

उज्ज्वला गृह (पुनर्वास गृह)

(1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक)

प्रगति प्रतिवेदन

भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली के सहयोग से एवं कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर की अनुसंशा एवं भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली की गार्ड लाईन के अनुसार संस्था द्वारा बिलासपुर में उज्ज्वला सुरक्षात्मक पुनर्वास गृह का संचालन 2015-16 में भी जारी रखा गया।

संस्था द्वारा राजकिशोर नगर बिलासपुर में उज्ज्वला (सुरक्षात्मक महिला पुनर्वास) गृह का संचालन जारी रहा। परियोजना **1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016** तक संस्था के सेवाभावी कार्यकर्ताओं द्वारा बिलासपुर नगर में यौन व्यवसाय के चिन्हित क्षेत्र **नगरीय क्षेत्रों** में ताला पारा, मगरपारा, चिंगराजपारा, चाटीडीह, बंधवापारा, सरकण्डा, हेमु नगर, रेलवे स्टेशन, मालधक्का, व्यापार विहार, जरहाभाठा एवं **ग्रामीण क्षेत्रों** तिफरा, छतौना, चकरभाठा, हिरी, सरगांव, उस्लापुर, सकरी, लालखदान, ढेका, मस्तुरी, में आंकलन का कार्य प्रारंभ किया गया। इन क्षेत्रों में चाय वाला, पानवाला, फलवाला, होटल वाला, स्थानीय महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वसहायता समूह के सदस्यों से सम्पर्क एवं संवाद किया गया और हितग्राहियों / पीड़ितों के सम्बन्ध में जानकारी ली गई। उन सभी को बिलासपुर में उज्ज्वला गृह की स्थापना का लक्ष्य, उद्देश्य, हितग्राहियों / पीड़ितों को दी जाने वाली सूविधाएं, व्यक्तिगत एवं मौलिक सूविधाएं, भोजन, दिनचर्या, डाक्टर की सूविधा सहित परामर्श और मानसिक उपचार की सूविधा सहित आय सृजन की गतिविधियों के लिये प्रशिक्षण, अदालत एवं विवाद के निपटारा के लिये विधि सहायता की सूविधा की जानकारी दी गई।

संस्था की ओर से उज्ज्वला गृह के लिये नियुक्त किये गये सेवाभावी कार्यकर्ताओं के द्वारा हितग्राहियों / पीड़ितों को दाखिला दिलाने के लिये नगरीय थाना में थाना-सरकण्डा, थाना- सिविल लाईन, महिला थाना, थाना- तोरवा, थाना- तारबहार, सहित नगर सीमा के बाहरी थाना में थाना- कोनी, थाना- चकरभाठा, थाना- सिरगिट्टी, थाना- सीपत, थाना- मस्तुरी,

थाना- हिरी एवं थाना- तखतपुर, थाना- कोटा, थाना- रतनपुर, थाना- गौरेला पेण्ड्रा, सहित निकटतम जिला के थाना- मुंगेली, थाना- लोरमी, थाना- पामगढ, थाना-जांजगीर चांपा के थाना प्रभारीयो से सत्त सम्पर्क बनाये रखा गया। चिन्हित एवं हितग्राहियो /पीडितो के होने की संभावना वाले क्षेत्रो मे नागरिको से संवाद एवं सम्पर्क बनाये रखा गया।

उज्जवला गृह मे प्रथम छमाही 1 अप्रैल 2015 से 30 सितम्बर 2015 तक मे हितग्राहियो /पीडितो का नया दाखिला की संख्या 86 क्रमांक – 112 से 197 तक रहा। पिछले वर्ष – 2014 – 2015 के शेष हितग्राही-09 रह थे। इस वर्ष 2015-16 प्रथम छमाही मे हितग्राहियो /पीडितो का नया दाखिला संख्या – 86 पिछले वर्ष के 09 हितग्राही/पीडितो सहित कुल संख्या 95 तक पहुंची। जिसमे से 55 हितग्राहियो /पीडितो का पुनर्वास किया गया।

टेबल-1- दाखिला विवरण की स्थिति – 1 अप्रैल से 15 से 30 सितम्बर 2015 प्रथम छमाही

1	Number of Beneficiaries in the Home					
	Age Specification	0-5 yrs	06-14 yrs	15-18 yrs	above 18	Total
	No. of Beneficiaries on the first day of the quarter (A)	00	00	00	09	09
	New Admission During the quarter (B)	08	08	13	45	74
	Referred by CWC	01	00	01	02	04
	Referred by NGOs/Staffs	01	01	00	02	04
	Referred by Police	04	07	09	39	59
	Referred by Childline/other helplines	01	00	02	02	05
	Referred by others	01	00	01	00	02

प्रथम छमाही मे नया दाखिला अप्रैल माह मे -27, मई माह -10, जून माह मे -13, जुलाई माह मे -14, अगस्त माह मे -11 एवं सितम्बर माह मे -11 रहा है। पुनर्वास गृह मे दाखिल सभी पीडितो को मौलिक सूविधा सहित भोजन, शिक्षा, विधिक सहायता और उनका स्वास्थ्य परीक्षण सहित परामर्श की सूविधा (व्यक्तिगत परामर्श, सामाजिक परामर्श, विधि सम्बन्धी परामर्श) की की सूविधा प्रदान की गई इनमे से 016 नाबालिग पीडितो को बाल कल्याण समिति बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं 67 पीडितो को शिक्षा एवं आय सृजन की गतिविधियो के लिये

उनकी रूचि अनुसार प्रशिक्षण की सूविधा प्रदान की गई। प्रथम छमाही की पुनर्वास एवं पीडितो की स्थिति इस प्रकार रहा –

टेबल-2 – पुनर्वास, परिवारिक एवं सामाजिक एकीकरण के विवरण की स्थिति –

1 अप्रेल 2015 से 30 सितम्बर 2015 प्रथम छमाही मे जाने वाले हितग्राहीयो/पीडितो की उम्र के अनुसार स्थिति/वर्गीकरण

Age Specification	0-5 yrs	06-14 yrs	15-18 yrs	above 18	Total
Beneficiaries who have moved out from the institution during the quarter (C)	02	04	09	39	54
Transferred to other homes	00	00	00	00	00
Reunified with Family	02	02	02	29	35
Transferred to the Home state	00	02	07	08	17
Transferred to the home countries	00	00	00	00	00
Self Employed/Placed with a job	00	00	00	00	00
Runaway/Missing	00	00	00	00	00
Death	00	00	00	02	02
Others	00	00	00	00	00

टेबल-3 – उज्जवला गृह से जाने वाले पीडितो का वर्गीकरण सहित विवरण एवं स्थिति –

Transferred to other homes	00
Reunified with Family	48
Transferred to the Home state	04
Transferred to the home countries	Nil
Self Employed/Placed with a job	Nil
Runaway/Missing	00
Death	02

Others (Please specify)	00
TOTAL	54

टेबल-4 – पीडितों का वर्गीकरण सहित विवरण एवं स्थिति –

1 अप्रैल 2015 से 30 सितम्बर 2015 प्रथम छमाही के पीडितों की पीडा की स्थिति/वर्गीकरण

2	Rescue Details बचाव का विवरण	From Commercial Sexual Exploitation व्यावसायिक यौन शोषण से	From threat of getting trafficked मानव तस्करी के खतरे से	Others अन्य	Total योग
	Number of Beneficiaries rescued within the district जिला से बचाव किये गये हितग्राही की संख्या	12	56		68
	Number of Beneficiaries rescued from the state राज्य से बचाव किये गये हितग्राही की संख्या	02	04	00	06
	Number of Beneficiaries rescued from other states अन्य राज्य से बचाव किये गये हितग्राही की संख्या	00	00	00	00
	Total योग	14	60		74

संस्था द्वारा वर्ष 2015-16 में 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक 1 अप्रैल 2015 से 30 सितम्बर 2015 तक में पीडितों का नया दाखिला की कमांक – 112 से 267 तक रहा। पिछले वर्ष – 2014 – 2015 के शेष हितग्राही-09 रहे हैं। इस वर्ष 2015-16 प्रथम छमाही में नया दाखिला संख्या – 74 पिछले वर्ष के 09 हितग्राही कुल संख्या 83 तक पहुंची। इनमें से 82 हितग्राहियों का पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण किया गया है। वर्तमान 2015-16 के प्रथम छमाही के अन्त में उज्ज्वला में 31 हितग्राहियों की उपस्थिति रही है। दाखिला के समय गंभीर बीमार होने पर उपचार के समय 02 पीडितों की मृत्यु हो गई। एक हितग्राही के पति एवं बच्चों

और मायका पक्ष से भाई एवं उसकी मां को मृत्यु की सूचना दी गई पर सामाजिक भय एवं सामाजिक मर्यादा के कारण मृत्यु कर्म में भाग नहीं लेने की सूचना दिये जाने उपरॉत उसका बिलासपुर नगर के सरकण्डा स्थित मुक्तिधाम में उनके धर्म हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार क्रिया कर्म पूर्ण कर अगले तीन माह तक परिवार वालों के प्रतिक्षा में उनकी अस्थि सुरक्षित रखा गया था। परिवार जनों का पता नहीं चलने पर बिलासपुर नगर के मध्य में प्रवाहित होने वाले अरपा नदी के सरकण्डा तट पर रीति रिवाज के साथ अस्थि विर्सजित किया गया। एक हितग्राही निकटतम सिम्स चिकित्सालय में उपचार के समय कार्यकर्ताओं को डाक्टर के पास व्यस्त देखकर भाग गई। कुल 128 हितग्राहियों का पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण संस्थागत कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया गया है। वर्तमान में 26 हितग्राहियों के पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया का प्रयास और प्रशिक्षण जारी रखा गया है।

टेबल-5 – पीड़ितों के पुनर्वास के बाद संस्था द्वारा किये गये सम्पर्क वर्गीकरण सहित विवरण एवं स्थिति –

1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के पीड़ितों के परिवारिक एकीकरण के बाद अगले तिमाही में पीड़िता एवं उसके परिवार का फालो-अप के माध्यम की स्थिति/वर्गीकरण

SI No.	Mode of follow up	Number of beneficiaries
1	Through direct visit to the place where beneficiary is residing	05
2	Through other organizations	09
3	Through telephone	36
4	Through other means THANA	02
	Total	52

उज्जवला गृह में दूसरे छमाही 1 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2016 तक में हितग्राहियों / पीड़ितों का नया दाखिला की संख्या 70 क्रमांक – 198 से 267 तक रहा। इस वर्ष 2015-16 प्रथम छमाही में हितग्राहियों / पीड़ितों का नया दाखिला संख्या – 26 हितग्राही/पीड़ितों सहित कुल संख्या 95 तक पहुंची। दूसरे छमाही में नया दाखिला अक्टूबर माह में –08, नवम्बर माह –14, दिसम्बर माह में –14, जनवरी माह में –11, फरवरी माह में –14 एवं मार्च माह में –09 रहा है। पुनर्वास

गृह मे दाखिल सभी पीडितो को मौलिक सूविधा सहित भोजन, शिक्षा, विधिक सहायता और उनका स्वास्थ्य परीक्षण सहित परामर्श की सूविधा (व्यक्तिगत परामर्श, सामाजिक परामर्श, विधि सम्बन्धी परामर्श) की की सूविधा प्रदान की गई 95 पीडितो को शिक्षा एवं आय सृजन की गतिविधियो के लिये उनकी रुचि अनुसार प्रशिक्षण की सूविधा प्रदान की गई। दुसरे छमाही की पुनर्वास एवं पीडितो की स्थिति इस प्रकार रहा –

1 अक्टुबर 2015 से 31 मार्च 2016 दुसरे छमाही मे पुनर्वास गृह छोडकर जाने वाले हितग्राहीयो/पीडितो की संख्या 77 रहा है। जिसमे से 55 हितग्राहियो /पीडितो का पुनर्वास किया गया। जिसमे से 6 हितग्राहीयो/पीडितो को उनके गृह राज्य भेजे जाने माननीय जिला अतिरिक्त दण्डाधिकारी बिलासपुर के प्राप्त आदेशो का पूरी तरह से पालन किया गया। 128 हितग्राहीयो/पीडितो को दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर माता, पिता, पति, भाई एवं परिजनो को सौपा गया। 4 हितग्राहीयो/पीडितो को अन्य गृह भेजा गया जिसमे से 2 हितग्राहीयो/पीडितो मां एवं उसकी पुत्री को जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, बिलासपुर के निर्देशो का पालन करते हुये नारी निकेतन, रायपुर मे दाखिला कराया गया।

टेबल-3 – उज्जवला गृह से जाने वाले पीडितो का वर्गीकरण सहित विवरण एवं स्थिति – 2015-16 के 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016

Transferred to other homes	04
Reunified with Family	128
Transferred to the Home state	06
Transferred to the home countries	Nil
Self Employed/Placed with a job	Nil
Runaway/Missing	01
Death	02
Others (Please specify)	00
TOTAL	139

टेबल-5 – पीडितों के पुनर्वास के बाद संस्था द्वारा किये गये सम्पर्क वर्गीकरण सहित विवरण एवं स्थिति –

1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के पीडितों के परिवारिक एकीकरण के बाद अगले तिमाही में पीडिता एवं उसके परिवार का फालो-अप के माध्यम की स्थिति/वर्गीकरण

SI No.	Mode of follow up	Number of beneficiaries
1	Through direct visit to the place where beneficiary is residing	10
2	Through other organizations	09
3	Through telephone	99
4	Through other means THANA	10
	Total	128